30/5/18

पत्रावली [illegible] के तहत ग्राम [illegible] पर पेश हुई। प्रतिवादी उपस्थित। वादी पराग्राह [illegible] चाहता है। पत्रावली [illegible] किया गया। चूंकि पत्रावली दि. 5.11.2015 से साक्ष्य वादी में चल रही है दो वर्ष से अधिक समय से पत्रावली में साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः प्रतीत होता है कि वकील वादी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई साक्ष्य नहीं है। कोई प्रकरण का साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली से मात्र होकर नस्ट

30/5/18

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official